



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर, 3050-272202

Website : www.suksn.edu.in - Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

पत्र सं०-१६७/सि०वि०वि०/सम्बद्धता/2025

दिनांक 22/05/2025

सेवा में,

प्राचार्य

चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पदमापुर, पाण्डव नगर, बस्ती।

विषय-बी०एड० पाठ्यक्रम में अनुमोदित शिक्षकों के प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-22.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके महाविद्यालय में बी०एड० पाठ्यक्रम अनुमोदित शिक्षकों का प्रमाण-पत्र की मांग की गयी है।

उक्त अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के सम्बद्धता अनुभाग में आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित उपलब्ध/संरक्षित अभिलेखानुसार दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र सं०-679/सम्बद्धता/2005 दिनांक-07.10.2005 द्वारा 07 प्रवक्ता एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के पत्र सं०-सम्बद्धता/2016/460 दिनांक-13.06.2016 द्वारा 03 प्रवक्ता एवं पत्र सं०-979/सि०वि०वि०/सम्बद्धता/2022 दिनांक-02.07.2022 द्वारा 05 प्रवक्ता तथा पत्र सं०-280/सि०वि०वि०/सम्बद्धता/2024 दिनांक-16.05.2024 द्वारा विभागाध्यक्ष अनुमोदित है, इस प्रकार महाविद्यालय में कुल 15 प्रवक्ता एवं 01 (एक) विभागाध्यक्ष अनुमोदित है।

भवदीय

22/5/25

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रबन्धक
चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पदमापुर, पाण्डव नगर-बस्ती

फोन कार्यालय -
आवास -

प्रबन्धक

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर -



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : 280./सि०वि०वि०/सम्बद्धता/2024

सेवा में,

दिनांक 16/05/2024

प्रबन्धक,

चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पद्मापुर, पाण्डव नगर, बस्ती।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष के चयन का अनुमोदन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक-24.04.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं०	पद	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	आधार कार्ड
1	विभागाध्यक्ष	डॉ० गोपाल कृष्ण भारद्वाज	श्री ईश्वरी प्रसाद भारद्वाज	16.07.1972	558535093817

नोट-अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों/शपथ पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में असत्य/भ्रामक पायी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
 - प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रबन्धक
चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पद्मापुर, पाण्डव नगर-बस्ती

फोन : कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक :

679/सम्बन्धिता/2005

दिनांक : 07.09.2005

सेवा में,

प्रबन्धक,

चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय,
पदमापुर पाण्डव नगर, बस्ती ।

विषय : प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 30-09-2005 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1	डॉ० रंजु सिंह, प्रवक्ता	बी०एड०
2	श्री जगराम हरिजन, प्रवक्ता	बी०एड०
3	डॉ० निरान्जनाप्रसाद, प्रवक्ता	बी०एड०
4	डॉ० भानुप्रताप सिंह, प्रवक्ता	बी०एड०
5	डॉ० प्रेम प्रिया, प्रवक्ता	बी०एड०
6	डॉ० कुमारी नीलम सिंह, प्रवक्ता	बी०एड०
7	डॉ० वीरेन्द्र कुमार सरोज, प्रवक्ता	बी०एड०

- महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।
- प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोल्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : 1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति।

प्रबन्धक,

चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पदमापुर, पाण्डव नगर, बस्ती

प्रबन्धक

चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पदमापुर, पाण्डव नगर, बस्ती

प्रबन्धक

चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पदमापुर, पाण्डव नगर - बस्ती



इस कार्यालय को भेजे जान वाले सभी पत्रों में पूर्व यह व्यवहार की संख्या दिनांक तथा उद्देश्य विभाग का नाम दिया जाय।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर --

दिनांक 13/06/2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पद्मापुर, पाण्डव नगर, बस्ती।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 13.06.2016 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है—

क्र.सं०	पद	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि
1	सहायक प्रोफेसर (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा)	श्री धनन्जय कुमार श्रीवास्तव	श्री यशवन्त कुमार श्रीवास्तव	07-08-1990
2	सहायक प्रोफेसर (ललित कला)	श्री विनय कुमार यादव	श्री राम प्यारे यादव	17-08-1988
3	सहायक प्रोफेसर (निष्पादन कला) संगीत	ज्योति कुमारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद जायवाल	14-03-1991

नोट— उपरोक्त अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों/शपथ पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में असत्य/भ्रामक पायी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चैक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
 - प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

कुलसचिव

प्रबन्धक
चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पद्मापुर, पाण्डव नगर-बस्ती

प्रबन्धक
चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पद्मापुर, पाण्डव नगर-बस्ती

कोन कार्यालय -
आवास -

प्रेषक,

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कनितप्रस्तु
सिद्धार्थनगर -



इस कार्यालय का भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : 979/सि०वि०वि०/सम्बद्धता/2022
सेवा में,

दिनांक 02/07/2022

प्रबन्धक,

चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पद्मापुर, पाण्डव नगर, बस्ती।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, शिक्षण विषय विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक-02.07.2022 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, शिक्षण विषय विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र. सं०	पद	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	आधार कार्ड
1	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी	अनिल कुमार चतुर्वेदी	01.01.1980	831444473719
2	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	श्री दिपेश कुमार	गंगाशाम	20.01.1984	890562935030
3	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	श्री हिमांशु जायसवाल	छेदी लाल जायसवाल	08.11.1988	912002009690
4	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	श्री रमेश कुमार यादव	नन्दलाल यादव	12.12.1981	738134749972
5	शिक्षण विषय	श्री राम मूरत	राम बहाल	18.02.1979	294913253019

नोट:-चयनित अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों/शपथ पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में असत्य/भ्रामक पायी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
1. प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

भवदीय


कुलसचिव


प्रबन्धक
चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पद्मापुर, पाण्डव नगर-बस्ती